कृषि विभाग

क्र०सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम/ सेवाओं के तहत दी जाने वाले लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जा सकता है।	स्वीकृति करने वाले पदाधिकारी
1.	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राज्यस्तरीय सभी कृषि विकास से संबंधित योजनाओं का परिवाद**	इस योजना के तहत संकर मक्का/धान, चावल, गेहुँ एवं दलहन के लिए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि विकास योजना का बिस्तार राज्य के सात जिलों (लखीसराय, नवादा, मुंगेर, जमुई, गया शेखपुरा एवं बांका) संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तीन घटक है- (क) उत्पादन में वृद्धि (ख) आधारभूत सरंचना एवं परिसम्पति का विकास (ग) स्थानीय विशेषता के अनुरूप कार्यक्रम का कार्यान्वयन।	लाभांन्वित कृषकों जिनका बैंक खाता खुला हुआ है, को अनुदान की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) Programme के तहत बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा। जिन किसानों का बैंक में खाता नहीं है, उनको बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल पर पंजीकृत किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन देकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।	किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक जिला कृषि पदाधिकारी
2.	**बीज एवं उर्वरक उपादान कीट वितरण से संबंधित परिवाद।**	इस योजना का उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवता वाले बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी उपलबध कराना है। इसमें 06 क्षेत्रीय बीज परिक्षण प्रयोगशाला बनाया गया है। कृषि क्षेत्र में किसानो को उच्च गुणवता वाले रासायनिक, कार्बनिक उर्वरक, गुणवता पूर्ण किटनाशी तथा जैव उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चलायी गयी है। इस योजना के अंतर्गत एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।	कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल पर पंजीकृत किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन देकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। पंजीकृत वैसे किसान जो इस योजना के तहत दिये गये मार्गदर्शिका के अनुरूप सही पाये गये है। इच्छुक किसान पहले आओ पहले पाओ	प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी
3.	**कृषि यांत्रिकरण से संबंधित परिवाद**	इस योजना के तहत 110 प्रकार के कृषि यंत्रों का अनुदान दिया जाता है। राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यत्रों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना अंतर्गत देय होगा। इस योजना के अंतर्गत जिलो के लिए कर्णांकित राशि का कम से कम 18 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के किसानों को अनुसूचित जाति /जनजाति के समतुल्य अनुदान का लाभ दिया जाएगा। कृषि यंत्रो पर अनुदान दर प्रतिशत तथा अनुदान दर के अधिकतम सीमा में 10 प्रतिशत वृधि कर किसान को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। परन्तु किसी भी परस्थिति में अनुदान दर की कीमत के 80 प्रतिशत के अधिक नहीं है।	वैसे किसानों का चयन किया जायेगा जो वास्तविक रूप से कृषि कार्य करते है। 20,000 हजार रूपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यत्रों के लिए एल.पी.सी. अथवा अध्यतन मालगूजारी रशीद 2023-24 नहीं रहने के स्थिति में वित्तीय वर्ष 2002-23 या 2021-22 का मालगूजारी रशीद रहने पर ही अनुदान की राशि दिया जा सकता है। सभी इच्छुक किसान अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के वेबसाइट-www.farmech.bih.nic.in (OFMAS) पर अपना ऑनलाइन आवेदन दे सकते है।	प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी
4.	**जैविक उर्वरक खेती से संबंधित परिवाद।**	जैविक उर्वरक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कम लागत में अधिक उत्पादन के साथ मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सरंक्षण का ध्यान रखना है। जैविक उर्वरक खेती में वर्मी कम्पोस्ट का विशेष महत्व है। इस योजना का बिस्तार राज्य के 13 जिलों (पटना, नालंदा,	वैसे किसान जो मार्गदर्शिका अनुरूप सही पाये गये है। प्रति किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ दिया जाता है। कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल पर पंजीकृत किसान dbtagriculture.bihar.gov.in	जिला कृषि पदाधिकारी (जिला स्तर पर), कृषि निदेशक-सह-मिशन निदेशक,

		भोजपुर, बक्सर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर एवं कटिहार) में संचालित किया जा रहा है।	पर ऑनलाइन आवेदन देकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।	बिहार राज्य जैविक मिशन (राज्य स्तर पर)
5.	**कम्पोस्ट/ बायोगैस से संबंधित परिवाद**	इस योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्र स्थापित किये जाते हैं जिसे आसानी से गोबर व अन्य वनस्पति पदार्थो से बायोगैस खाद बनाकर उसे खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं।	जिस किसान के पास दो से पांच पशु है वह इस योजना का लाभ ले सकता है। गोबर बायोगैस संयंत्र निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद 45 दिन के अंदर बायोगैस संयंत्र बना लेना है। उसके 60 दिन अंदर गैस का उत्पादन करना है। कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल पर पंजीकृत किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन देकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।	जिला कृषि पदाधिकारी/ सहायक निदेशक रसायन/सहायक निदेशक (शष्य)
6.	**बीज/उर्वरक/ कीटनाशी से संबंधित परिवाद**	यह राज्य स्तरीय संचालित योजना इसका उद्देश्य नवीनतम एवं उन्नत प्रभेदों के गुणवत्तायुक्त बीज का प्रयोग कर फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के दस जिलों यथा-गया, वैशाली, भागलपुर, नालंदा, बेगुसराय, समस्तीपुर, पटना, नवादा, दरंभगा एवं पुर्णिया में बीज हब के माध्य से प्रमार्णित बीज उत्पादन कराने की योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। सीड हब में रबी एवं गरमा मौसम के अनुकूल फसलों का बीज उत्पादन कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत अधिकतम 5000 रूपये प्रति क्विंटल अनुदान राशि दिया जाता है। मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरको का संतुलित एवं अनुशंसित मात्रा में प्रयोग करे। उर्वरक छिड़कने के बजाये इसे पौधो के जड़ो के पास डाला जाना चाहिए।	कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल पर पंजीकृत किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन देकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। पंजीकृत वैसे किसान जो इस योजना के तहत दिये गये मार्गदर्शिका के अनुरूप सही पाये गये है।	कृषि समन्वयक प्रखंड कृषि पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी
7.	**राष्ट्रीय एवं राज्य योजना से परिचालित अन्य सभी कृषि योजना से संबंधित परिवाद**	राष्ट्रीय एवं राज्य योजना से परिचालित कृषि योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि इनपुट अनुदान योजना प्राधनमंत्री किसान सम्पदा योजना, फसल सहायता योजना चलाई गई है। जिसके अंतर्गत खरीफ एवं रबी फसल के आधार पर अनुदान का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सभी लघु एवं सीमांत कृषक परिवार जिनके पास कृषि योग्य जमीन है को आय में सहायता के उद्देश्य को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य फसल के स्वाथ्य एवं उचित उपज के लिए किसान को विभिन्न उपादान क्रय करने में वितिय मदद करना है ताकि किसानो को प्रत्याशित कृषि आय सुनिश्चित किया जा सके	वैसे किसान जो मार्गदर्शिका के अनुरूप सही पाये गये हो एक ही परिवार यथा पति/पत्नी/आश्रित पुत्रों/आश्रित पुत्रियों में से किसी एक को ही योजना का लाभ दिया जायेगा। कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल पर पंजीकृत किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन देकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।	जिला कृषि पदाधिकारी
8.	**राष्ट्रीय एवं राज्य बागवानी मिशन से संबंधित परिवाद**	विभिन्न कार्य नितियो के माध्यम से बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना। जैसे बीज, कम्पोस्ट बनाना, शीत भण्डारण, पौली हाउस, कटाई, सफाई, ग्रेडिंग, की प्रक्रिया अपनाकर लाभ उठाना। इसमें किसानों के लागत का 50 प्रतिशत राशि दिया जाता है। वर्ष 2023-24 में	वैसे किसान जो मार्गदर्शिका अनुरूप सही पाये गये है। वैसे किसान ww.horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन देकर इस योजना का लाभ	निदेशक, उद्यान,

		एम.आई.डी. एच के कुल 4608.75 लाख रू की योजना स्वीकृत है जो राज्य के 23 जिलो यथा/ अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, जमई, कटिहार, खगड़ीया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फपुर, नालंदा, पूर्णिया, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली एवं पश्चिम चंपारण में कार्यान्वयन किया जा रहा है।	प्राप्त कर सकते है।	
9.	**डीजल अनुदान से संबंधित परिवाद**	इस योजना के तहत 2022-23 अतंर्गत खरीफ मौसम के फसलों में अल्प विकसित के स्थिति में सुखाड़ जैसे स्थिति को देखते हुए डीजल चालित पंम्पसेट पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। खड़ी फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंर्तगत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 1800रू प्रति एकड़ देय है। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए देय है। यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को देय होगा। अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसान को भी देय होगा।	इस योजना का लाभ कृषि विभाग के Dbt Portal में ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाऐगा। पंजीकृत किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर अपना आवेदन दाखिल कर सकते है। वैसे किसान जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है उनको ही इस योजाना का लाभ मिलेगा।	कृषि समन्वयक/जिला कृषि पदाधिकरी
10.	**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत संचालित कृषि योजनाओं से**	इस योजना का मुख्य उद्देश्य चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सीरीयल (मक्का) के उत्पान में 4 प्रतिषत वार्षिक वृद्धि लाकर खद्यान्न के मामले में राज्य एवं देश को सुरक्षित करना है।	कृषक समुह का चयन पहले आओं और पहले पाओं के आधार पर किया जायेगा। संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत विगत दो वर्षों में चयनित कृषक को उक्त कार्यक्रम का लाभ नहीं दिया जायेगा। वैसे किसान www.nfsm.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन देकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।	कृषि निदेशक, बिहार, पटना।
11.	**बिहार राज्य विपणन पर्षद (विघटित) के अन्तर्गत गोदाम/दुकान/विक्रय स्थल का भुखण्ड का आवंटन से संबंधित**	कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) एवं उसके क्षेत्र अंतर्गत बने/उपलब्ध दूकान सह गोदाम, दूकान एवं गोदाम जो पूर्व से किसी को आंवटित है, तथा आवंटी द्वारा वर्तमान में भी उसका उपयोग करके व्यापार किया जा रहा है, तो गोदाम पूर्व के आवंटी को ही दिया जायेगा इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी-सह-विशेष पदाधिकारी के द्वारा गृह नियंत्रक सह अनुमंडल पदाधिकारी से उचित किराया निर्धारित कराया जाता है।	दूकान सह गोदाम, दूकान एवं गोदाम का आवंटन सार्वजनिक निलामी द्वारा की जाती है। सार्वजनिक निलामी में भाग लेने वाले आवेदनकर्त्ता को विहित निविदा पपत्र क्रय करने हेतु एक माह का उचित किराया की राशि जमा कर सार्वनिक निलामी में भाग ले सकते है, जो राशि वापस नहीं किया जाता है। सार्वजनिक निलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले को ही दूकान सह गोदाम, दूकान एवं गोदाम का आवंटन किया जाता है। कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल पर पंजीकृत किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन देकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।	अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद(विघटित)
12.	**गोदाम /दूकान का रख-**	ग्रामीण स्तर पर अनाजों के सुरक्षित भंडारण तथा कृषि आधारित	कृषक समुह का चयन पहले आओं और पहले पाओं	कृषि समन्वयक

	रखाव एवं योजनाओं के निर्माण से संबंधित परिवाद	उद्यमिता के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार एवं इसकी उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत विपणन सहायता के लिए भंडारण हेतु गोदाम निर्माण की योजना लायी गई है। जिसकी क्षमता 200 मेंसर्स टन होगी।	के आधार पर किया जायेगा। कृषक के साथ-साथ कृषकों के स्वयं सहायता समूह को भी योजना का लाभ दिया जायेगा। गोदाम निर्माण में बिहार राज्य बीज निगम द्वारा पंजीकृत बीज उत्पादक समूहों, एग्रीगेटर एवं farmers producer organization को प्राथमिकता दी जायेगी। कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल पर पंजीकृत किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन देकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।	प्रखंड कृषि पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी